भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4128

18.08.2025 को उत्तर के लिए

पर्यावरण संरक्षण हेतु कानून

4128. श्री के. गोपीनाथ:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिनियमित किए गए प्रमुख कानून और उक्त अधिनियमों की विस्तृत जानकारी क्या है;

(ख) उक्त पर्यावरण कानूनों का पालन न करने के क्या परिणाम होंगे और इन पर किस प्रकार कार्रवाई की जाएगी; और

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु जैसे राज्यों में लागू की गई विशिष्ट पहलों और उपायों सहित उक्त अधिनियमों के अंतर्गत की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क): देश में वन, वन्यजीव और जैव विविधता से संबंधित कानूनों के अलावा पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाए गए प्रमुख कानून और ऐसे अधिनियमों के बारे में विस्तृत जानकारी इस प्रकार है:

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 ;

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार तथा मानव, अन्य जीवित प्राणियों, पौधों और संपत्ति के प्रति खतरों की रोकथाम के लिए अधिनियमित किया गया है ।

इस अधिनियम में चार अध्याय हैं जिनमें 26 धाराएँ हैं। यह केंद्र सरकार को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए उपाय करने, निर्देश देने, पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निस्सरण के मानक निर्धारित करने, पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय निर्धारित करने और ऐसी दुर्घटनाओं के उपचारात्मक उपाय करने का अधिकार देता है। इसके अलावा, यह पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए किए जाने वाले उपायों, पर्यावरण प्रयोगशालाओं की स्थापना, अधिनियम के उल्लंघन के लिए दंड, और दंड निर्धारित

करने हेतु न्यायनिर्णायक अधिकारी की नियुक्ति के बारे में भी प्रावधान करता है। इस प्रकार यह खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन हेतु विभिन्न नियमों और नीतियों की नींव रखता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के नियम 6 और 25 के अंतर्गत निम्नलिखित नियम पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं :

1. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986
2. खतरनाक रसायनों के निर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989
3. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000
4. ओजोन क्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000
5. बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022
6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006
7. खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016
8. जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
9. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
10. ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016
11. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
12. निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
13. पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) पाइप और फिटिंग में लेड स्टेबलाइजर नियम, 2021 आदि।

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974:

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 को जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण तथा जल की स्वास्थ्यप्रदता को बनाए रखने या पुनःस्थापित करने, पूर्वोक्त प्रयोजनों को पूरा करने के लिए जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए बोर्डों की स्थापना करने, ऐसे बोर्डों को उससे संबंधित शक्तियां और कार्य प्रदान करने और सौंपने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

इस अधिनियम में 64 धाराओं वाले आठ अध्याय हैं। यह अधिनियम केंद्र और राज्य सरकारों को केंद्रीय और राज्य बोर्डों के गठन का अधिकार देता है। तदनुसार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), राज्यों में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/संघ राज्य क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण समितियां (पीसीसी) जल निकायों में प्रदूषकों के निस्सरण को विनियमित करने तथा धाराओं और

कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक और सीवेज अपशिष्ट के शोधन को अनिवार्य करने के लिए स्थापित की गईं। यह अधिनियम बोर्डों की शक्तियों और कार्यों के बारे में विस्तार से बताता है। यह सूचना, नमूने, प्रवेश और निरीक्षण प्राप्त करने, प्रदूषणकारी पदार्थों के निपटान के लिए धारा या कुएं के उपयोग पर प्रतिबंध आदि की शक्ति प्रदान करके जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के उपायों को निर्धारित करता है, नए आउटलेट और नए निस्सरण पर प्रतिबंध लगाता है। इस अधिनियम की धारा 25 राज्य बोर्डों को स्थापित करने और संचालन के लिए सहमति जारी करने का अधिकार देती है

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 63 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय बोर्ड के परामर्श के बाद, 'जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1975' अधिसूचित किए।

वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 :

इस अधिनियम के अंतर्गत वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन, पूर्वोक्त प्रयोजनों को पूरा करने के लिए बोर्डों की स्थापना, ऐसे बोर्डों को इससे संबंधित शक्तियां और कार्य प्रदान करने और सौंपने तथा उससे संबंधित मामलों का प्रावधान किया गया है।

इस अधिनियम में 54 धाराओं वाले सात अध्याय हैं। यह अधिनियम केंद्र और राज्य सरकारों को वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए केंद्रीय और राज्य बोर्ड स्थापित करने का अधिकार देता है। यह जल अधिनियम के तहत गठित सीपीसीबी, एसपीसीबी की शक्तियों को बढ़ाता है ताकि वे वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्य कर सकें। उक्त अधिनियम का अध्याय चार वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के उपायों को निर्धारित करता है जैसे वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों की घोषणा करने की शक्ति, ऑटोमोबाइल से उत्सर्जन के मानकों को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देना, कुछ औद्योगिक संयंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध, प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति, नमूने लेना आदि। इसके अलावा, वायु अधिनियम का छठा अध्याय उक्त अधिनियम के उल्लंघन के लिए दंड और प्रक्रिया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति निर्धारित करता है।

वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने केंद्रीय बोर्ड के परामर्श के बाद वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1982 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) (संघ राज्य क्षेत्र) नियम, 1983 को अधिसूचित किया।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 :

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक से संबंधित समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के गठन और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

इस अधिनियम में 31 धाराएँ और पाँच अध्याय हैं। यह अधिनियम आयोग को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता के संरक्षण और सुधार के उद्देश्य से, आवश्यक या समीचीन समझे जाने वाले सभी उपाय करने, निर्देश जारी करने और शिकायतों पर विचार करने का अधिकार देता है। इस अधिनियम में अधिनियम के उपबंधों, नियमों, आदेशों या निर्देशों के उल्लंघन पर दंड का भी प्रावधान है।

(ख): केंद्रीय एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समितियाँ पर्यावरण संबंधी कानूनों के अनुपालन की निगरानी करती हैं। वे जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत सभी प्रकार के प्रदूषण (अपशिष्ट, उत्सर्जन मानदंडों, अपशिष्ट प्रबंधन आदि का पालन न करना) में वृद्धि के लिए उत्तरदायी दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करती हैं।

पर्यावरण विनियमों {जल अधिनियम, वायु अधिनियम, ई(पी) अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियम} का अनुपालन न करने पर आर्थिक दंड, कारावास, औद्योगिक इकाइयों/गतिविधियों को बंद करना, पर्यावरण क्षतिपूर्ति, संचालन हेतु सहमति/पर्यावरणीय मंजूरी रद्द करना आदि हो सकता है।

(ग): पिछले तीन वर्षों में इन अधिनियमों के अंतर्गत की गई कार्रवाई की जानकारी, जिसमें तमिलनाडु जैसे राज्यों में कार्यान्वित की गई विशिष्ट पहल और उपाय शामिल हैं:-

तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन पर उद्योगों की निगरानी करता है। यदि उल्लंघन पाया जाता है, तो कारण बताओ नोटिस जारी किए जाते हैं। इकाइयों द्वारा दोषों को दूर करने के बाद, आगे की कार्रवाई रोक दी जाती है। यदि उल्लंघन जारी रहता है, तो इकाइयों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया जाता है और दोषों को दूर करने के लिए समय दिया जाता है। यदि इकाइयाँ पर्यावरण का उल्लंघन और प्रदूषण जारी रखती हैं, तो बोर्ड जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के तहत उन्हें बंद करने और बिजली आपूर्ति बंद करने का निर्देश जारी करता है। इकाई द्वारा दोषों को दूर करने के बाद, बंद करने का आदेश रद्द कर दिया जाता है और बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाती है।

कारण बताओ नोटिस और बंद करने का निर्देश निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर जारी किया जाता है :

i. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अंतर्गत जारी सहमति आदेश का अनुपालन न करना
ii. बोर्ड द्वारा निर्धारित उत्सर्जन/उत्सर्जन मानकों का अनुपालन न करना

iii. प्रदूषण नियंत्रण के अपर्याप्त उपाय
iv. वैध सहमति के बिना संचालित उद्योग
v. अनुपचारित/आंशिक रूप से शोधित सीवेज/व्यापारिक अपशिष्टों का अवैध निस्सरण।

तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निम्नलिखित मामलों में उद्योगों/स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों से पर्यावरण क्षतिपूर्ति भी वसूलता है:

i. सहमति की शर्तों, मुख्य रूप से निर्धारित मानकों/सहमति सीमाओं का उल्लंघन करते हुए निस्सरण,
ii. जारी निर्देशों का अनुपालन न करना, जैसे ऑनलाइन सतत प्रवाह निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) की स्थापना न करने के कारण बंद करने का निर्देश, प्रस्तुत कार्य योजनाओं का पालन न करना, जल निकायों में प्रदूषकों को छोड़ने से रोकने में विफलता और अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को लागू करने में विफलता आदि;
iii. ऑनलाइन सतत उत्सर्जन/अपशिष्ट निगरानी प्रणालियों से छेड़छाड़ करके डेटा प्रस्तुत करने से जानबूझकर बचना या डेटा में हेरफेर करना;
iv. आकस्मिक निर्वहन जो अल्प अवधि तक चलता है, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण को नुकसान होता है;
v. पर्यावरण-भूमि, जल और वायु में जानबूझकर उत्सर्जन जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण को गंभीर क्षति या क्षति होती है;
vi. उपचारित/आंशिक रूप से उपचारित/अनुपचारित अपशिष्टों को भूजल में डालना।

तमिलनाडु राज्य में पिछले 3 वर्षों में प्रदूषण उल्लंघन के कारण जिन उद्योगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और बंद किया गया उनकी संख्या निम्नलिखित है:-

वर्ष	इकाइयों की संख्या जिसके लिए कारण बताओ नोटिस जारी	उन इकाइयों की संख्या जिनके लिए बंद करने और बिजली आपूर्ति का बंद करने के आदेश जारी किया गया
2023-24	3482	152
2022-23	5063	420
2021-22	3520	332

टीएनपीसीबी की विशिष्ट पहल

i. विरासती अपशिष्ट से निपटने के लिए, टीएनपीसीबी ने शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के साथ समन्वय में राज्य भर में 291 कूड़ा स्थलों की पहचान की है और इन स्थलों के उपचार और सुधार के लिए जैव खनन को एक स्थायी समाधान के रूप में अपनाया है और 241 स्थानों में 291 कूड़ा स्थलों में से 290 में जैव खनन शुरू किया है।

ii. सीमेंट, तेल शोधन संयंत्र, पेट्रोकेमिकल्स, ताप विद्युत संयंत्रों, उर्वरकों, लौह एवं इस्पात इकाइयों सहित प्रमुख उद्योगों से होने वाले उत्सर्जन की ऑनलाइन निगरानी के लिए एकीकृत पर्यावरण निगरानी स्टूडियो की स्थापना की गई है, और यह खतरनाक अपशिष्ट, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, ई-कचरे की ट्रैकिंग और सहमति प्रबंधन के लिए एकीकृत मॉड्यूल भी प्रदान करता है। वर्तमान में , 820 औद्योगिक इकाइयाँ स्टैक और परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए इस केंद्र से जुड़ी हुई हैं।

iii. तेल रिसाव और अमोनिया गैस रिसाव सहित प्रमुख पर्यावरणीय घटनाओं के जवाब में मनाली-एन्नोर पुनरुद्धार एवं कायाकल्प परिषद (एमईआरआरसी) की स्थापना की गई है। एमईआरआरसी मनाली-एन्नोर क्षेत्र के लिए एक समग्र पारिस्थितिक पुनरुद्धार कार्यक्रम को लागू करने हेतु विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करता है। टीएनपीसीबी ने निरीक्षण, मॉक ड्रिल, सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने और अनधिकृत अपशिष्ट संचलन एवं अवैध उत्सर्जन को रोकने के लिए एक समर्पित जिला पर्यावरण अभियंता कार्यालय और दो उड़न दस्ते स्थापित किए हैं।

iv. टीएन फिशनेट इनिशिएटिव (टीएनएफआई) की शुरुआत फेंके गए या छोड़े गए मछली पकड़ने के उपकरणों से होने वाले प्लास्टिक प्रदूषण को दूर करने के लिए की गई थी, जो समुद्री कूड़े का एक बड़ा हिस्सा है। इस पहल का विस्तार सभी तेरह तटीय जिलों तक कर दिया गया है।

v. ऑनलाइन अपशिष्ट विनिमय ब्यूरो को पारदर्शी, वेब-आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से औद्योगिक अपशिष्ट उत्पादकों को अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं, सह-प्रसंस्करणकर्ताओं और अन्य अपशिष्ट उपयोगकर्ताओं के साथ जोड़कर चक्रीय अर्थव्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू किया गया था।

vi. राज्यव्यापी अभियान " मींडम मंजप्पई " को दिसंबर, 2021 में एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक के खिलाफ एक जन आंदोलन के रूप में लॉन्च किया गया था। राज्यव्यापी अभियान के तहत, 8.6 लाख पारंपरिक पीले कपड़े के बैग वितरित किए गए हैं और 2.76 लाख से अधिक जागरूकता संबंधी कार्यकलाप शुरू किए गए हैं।

*****